

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक साधिकार प्रकाशित	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary Published by Authority
		माघ 18, मंगलवार, शाके 1938—फरवरी 7, 2017 <i>Magha 18, Tuesday, Saka 1938-February 7, 2017</i>

भाग 4 (ग)

उप—खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएँ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग
अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 2, 2017

एस.ओ.133 :— गर्भधारण—पूर्व और प्रसव—पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप—धारा (2) सपष्टित उप—धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.23 (2)चिकि. एवं स्वा./ग्रुप-3/2003/पार्ट दिनांक 01-07-2003, समय—समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति “विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें” के स्थान पर “शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग” प्रतिस्थापित किया जावेगा।

[संख्या प. 23 (2) चिस्वा/ग्रुप-3/2003 पार्ट]

राज्यपाल की आज्ञा से,

अजय असवाल,

संयुक्त शासन सचिव।